फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

दुर्गासिंह बनाम मिठूसिंह (वगैरा)

किस्म मुकदमा प्रा०पत्र 111-120 नं० 223 सन् 2022

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
10·22	वाद / प्रार्थनापत्र वाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनाक 22·11·22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
22-11-22	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। अप्रार्थीगण को कितनी बार रुक-रुक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं। इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल प. किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 13:40:57 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायायल उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

मुकदमा संख्या– 223/22 प्रा०पत्र

1– श्री दुर्गा सिंह S/o श्री लक्ष्मी सिंह चौहान (रावणा राजपूत) निवासी गुढा तहसील माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

– श्री मिठू सिंह S/o श्री देवीलाल चौहान (रावणा राजपूत) निवासी गुढा तहसील मांडल (भील)
([illegible])

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक – 22.11.22

::आदेश::

की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन
ा कि ग्राम......गुढा......पटवार हल्का संतोकपुरा.........तहसील माण्डल में उसके
/संयुक्त खाते की आराजी नं......767/46 कुल किता 01 रकबा 0.1897
टयर स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये
सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की
रगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

ुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 17.10.22 को पजीवद्ध किया जाकर प्रकरण को
लोकनार्थ से यह बात सिद्ध हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का
कारी हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अत: इन तथ्यों को देखते
नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

ी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम...गुढा...पटवार
का संतोकपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आरजी नं........767/46..........
ा किता.........01.........रकबा...0.1897.....हेक्टयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी
ये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख
ीक्षक ....गोजा.........को..........500/-रूपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने
पक्षकरान् की मौजूदगी मे मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार
नकर पत्थरगढ़ी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 13:40:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

तिलिपि:– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार
त्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा